(109)

SLC-7
21-7-10

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 20/3/10

:: आदेश ::

विषय: भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में

संदर्भ: विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निस्तारण के विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या-4.9 व 5.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

बिन्दु संख्या- 4.9 :- नीलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन नीलामी/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक निषेध होंगे, परन्तु व्यावसायिक उपयोग हेतु नीलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों के किसी अन्य उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिए निषेध नहीं होगा।

बिन्दु संख्या- 5.4 :- नीलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन नीलामी/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात ही किया जा सकेगा, परन्तु व्यावसायिक उपयोग हेतु नीलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों के किसी अन्य उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिए निषेध नहीं होगा। ऐसे भूखण्डों पर देय एफ.ए.आर. आवंटन/नीलामी के समय दिये गये एफ.ए.आर. से अधिक नही होगा। शेष मानदण्ड आशायित उपयोग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानुसार होंगे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त ....।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय